(10)

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
शाहजहांपुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

संख्याः— 159 / नाजिर सदर / ठेका रद्दी / 2021—22 दिनांकः— 11 फरवरी, 2021

विषयः— **प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सादर निवेदन करना है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु ठेका रद्दी हेतु निविदा सूचना दैनिक समचार पत्रों में प्रकाशित करायी जानी है, जिसका प्रारूप संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि शासनादेश संख्या 242 / सू0एवं जन0सं0वि0(विज्ञा) —924 / 2014 दिनांक 30.07.2015 (प्रति संलग्न) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करें। साथ ही प्रकाशित विज्ञप्ति की प्रति इस कार्यालय को भी निविदा आमंत्रण तिथि से पूर्व उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः— यथोक्त।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार चौधरी)
अपर जिलाधिकारी(वि / रा)
शाहजहांपुर।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को निविदा सूचना प्रपत्र / विज्ञप्ति सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

1. मुख्य विकास अधिकारी महोदया शाहजहांपुर।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर।
3. नगर आयुक्त नगर निगम शाहजहांपुर।
4. समस्त उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार जनपद शाहजहांपुर।
5. समस्त नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत जनपद शाहजहांपुर।
6. सहायक निदेशक सूचना को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति के प्रकाशन हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. अधि[illegible] : [illegible]
8. [illegible] अधि[illegible] [illegible]

11.02.2021
अपर जिलाधिकारी(वि / रा)
शाहजहांपुर।

(15)

कार्यालय जिलाधिकारी शाहजहांपुर।

संख्याः 159 /नाजिर सदर/ ठेका रद्दी/2021–2022 दिनांकः– 11.02.2021

नीलामी सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्ट्रेट, के समस्त अनुभागों एवं जनपद की समस्त तहसीलों एकत्रित रददी–कागजों का ठेका वित्तीय वर्ष 2021–2022 में सार्वजनिक नीलामी कलेक्ट्रेट सभागार, शाहजहांपुर में नीलाम समिति के समक्ष दिनांक–05–03–2021 को अपरान्ह 2.00 बजे प्रारम्भ होगी। नीलाम में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नीलाम प्रारम्भ होने के पूर्व (दिनांक 05–03–2021 को अपरान्ह 1.00 बजे तक) 10,000.00(दस हजार रूपया मात्र)जमानत धनराशि एवं तहसीलदार द्वारा निर्गत अदेय प्रमाण पत्र जमा करना होगा। नीलामी समाप्ति के उपरान्त सर्वोच्च बोलीदाता को सर्वोच्च बोली का 1/2 धनराशि तत्काल जमा करनी होगी तथा अवशेष 1/2 धनराशि जिलाधिकारी महोदय की स्वीकृति आदेश के प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर अथवा ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व (दोनों में से जो भी तिथि पहले आयेगी) जमा करना होगी। नीलामी के सम्बन्ध में शेष शर्तें/जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित नजारत अनुभाग में सम्पर्क कर ज्ञात की जा सकती हैं अथवा कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी(नजारत)
कृते जिलाधिकारी,
शाहजहांपुर।